न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/77/2023	2023/360	26–07–2023	24.07.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. मैं0 ज्योति गैस एजेंसी, पता–19–20 रघु कॉम्प्लेक्स, स्कीम नं0 10, जैन मंदिर के पास जिला अलवर (राजस्थान)।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 15 भरे गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) एचपी कम्पनी को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री अतुल्य माथुर। –वकील अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 15 गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) एचपी कम्पनी गैस को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.11.2020 को शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार शर्मा, निवासी नयाबास, अलपर द्वारा मोबाईल नम्बर 9462559347 से मुझ जिला रसद अधिकारी को सूचना दी गई कि संत सुखदेव शाह अस्पताल, मनुमार्ग, अलवर के पीछे सड़क पर एचपी गैस एजेंसी के डिलीवरीमैनों द्वारा एक सिलेण्डर में से दूसरे सिलेण्डर में गैस की रिफलिंग की जा रही है। उक्त अवैध रिफलिंग की सूचना की जांच वास्ते में जिला रसद अधिकारी रवि जाधव व बहमराह श्री पुखराज कासोटिया, प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर मौके पर पहुंचे। मौके पर शुभम मैरिज हॉल, मनुमार्ग अलवर के पीछे संत सुखदेव शाह अस्पताल के पास एचपी गैस घरेलू गैस (14.2 ग्रा) के 78 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसमें 34 खाली, 29 सीलशुदा एवं 15 भरे हुए लेकिन सील टूटी हुई पाये गये। मौके पर शिकायकर्ता श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित मिले। श्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उसने जब आसिफ को एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरते देखा और रूककर पुछताछ की तो वह भाग गया। जब श्री धुन्धी वापिस आया तो उसने उसका नाम आसिफ बताया। मौके पर एचपी गैस के कर्मचारी श्री अनिल पुत्र श्री जोरावर सिंह, निवासी शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक उपस्थित मिले। श्री अनिल सिंह ने बताया उक्त गैस सिलेण्डर मै० ज्योति गैस एजेंसी, पता–19–20 रघु कॉम्प्लेक्स, स्कीम नं० 10, जैन मन्दिर के पास, अलवर के हैं। यह स्थान मै० ज्योति गैस एजेंसी का अस्थाई वितरण केंद्र है, जहां से डिलीवरीमैनों द्वारा घर–घर पर जाकर गैस सिलेण्डर की डिलीवरी की जाती है। श्री अनिल सिंह ने बताया कि आसिफ नाम व्यक्ति को श्री धुन्धी खां ने सिलेण्डरों की रखवाली के लिए रखा हुआ है, धुन्धी की अनुपस्थिति में आसिफ नाम व्यक्ति द्वारा गैस निकालने का कार्य किया गया। मौके पर मै० ज्योति गैस एजेंसी के मालिक श्री संजीव शर्मा, निवासी बापू बाजार, अशोका टॉकिज, अलवर को बुलाया गया। श्री संजीव शर्मा ने बताया कि उक्त अस्थाई वितरण केंद्र पर आज श्री धुन्धी खां पुत्र श्री हंसा खां की डयूटी थी, जो इस वितरण केन्द्र से घर–घर पर गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी करता है। श्री संजीव शर्मा ने बताया कि आसिफ उनकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

एजेंसी का कर्मचारी नहीं है। मौके पर 78 घरेलू गैस सिलेण्डर मिले, जिनका निरीक्षण करने पर 34 खाली, 29 सीलशुदा एवं 15 भरे हुए लेकिन सील टूटी हुई का निरीक्षण किया एवं उपस्थिति मौतबिरान के समक्ष हेगिंग स्केल से तौल करने पर नम्बर नम्बर 629545 में 2.4 किग्रा एवं 6910725 में 2.3 किग्रो गैस कम पाई गई एवं 15 गैस सिलेण्डरों की सील टूटी पाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपियों द्वारा एक सिलेण्डर से गैस निकालकर दूसरे सिलेण्डर में भरने का कार्य किया गया, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आद दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 15 गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) कुल 209.1 किग्रा गैस को मै० ज्योति गैस एजेंसी, अलवर के कब्जे से अभिग्रहित किया गया एवं सुरक्षा तथा साध्य की दृष्टि से पृथक सुपुर्दगीनामा बनाकर फर्म मै० मोहन गैस एजेंसी (एचपी), अलवर के मैनेजर श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 15 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) मय गैस 209.1 किग्रा को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नोटिस का प्रथम चरण जिस तरह से वर्णित किया है स्वीकार नहीं है। संत सुखदेवशाह अस्पताल मनुमार्ग, अलवर के पीछे से एचपी–गैस एजेंसी के डिलीवरीमैनों द्वारा आस–पास रहने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलैण्डर की सप्लाई की जाती है। लेकिन यह तथ्य कि डिलीवरीमैनों द्वारा एक सिलैण्डर से दूसरे सिलैण्डरों में गैस की रिफलिंग की जा रही थी, गलत है। दिनांक 24.11.2020 को ज्योति गैस का डिलीवरी वाहन मय सिलैण्डरों के खडा था, जिससे आस–पास के घरों में सिलेण्डरों की होम डिलीवरी की जा रही थी। नोटिस का द्वितीय चरण इस हद तक सही है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्री रवि जाधव द पुखराज कासोटिया मौके पर पहुंचे थे, जहां एचपी घरेलू गैस के 14.2 किलोग्राम के 78 गैस सिलैण्डर थे, जिनमें 34 खाली, 29 सील्डशुदा एवं 15 भरे हुए लेकिन सील टूटी होना बताया है। उक्त सभी सिलैण्डरों का हैंगिंग स्केल से वजन की जांच की गई थी, वक्त जांच सभी सिलैण्डरों के वजन सही पाये गये थे। उस दिन दो उपभोक्ताओं द्वारा गैस एजेन्सी पर जब यह सूचना दी कि उनके रसोईघर में गैस की बदबू आ रही है और लगे हुये सिलैण्डर में लीकेज है, गैस एजेन्सी द्वारा डिलीवरीमैन को भेज कर उपभोक्ता के घर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लीकेज सिलैण्डर को बदलकर गैस एजेन्सी द्वारा दूसरे सिलैण्डर उपलब्ध करा दिये गये। दो सिलैण्डर जो उपभोक्ताओं से प्राप्त हुये थे, वहां से वापिस एजेन्सी लाने के लिये अलग रखे हुये थे, जिनका एस.आर नंबर 629545 में 2.400 के.जी. व एस.आर नंबर 6910725 में 2.330 के.जी. गैस कम पाई गई थी। गैस एजेन्सी द्वारा उपभोक्ता नंबर 510914 जो कि राकेश शर्मा 4 ग 9 प्रताप नगर मनुमार्ग अलवर जिनका सिलैण्डर एस आर नंबर 629545 व उपभोक्ता नंबर 508268 जो कि विनोद कुमार उपाध्याय 225 शांतिकुंज अलवर जिनका सिलैण्डर एस.आर नबर 331414 लीकेज थे, जिनमें गैस कम पाई गई, उक्त गैस उपभोक्ताओं द्वारा काम में ली गई थी, जिसकी जांच डिलीवरीमैन कर रहा था। उसकी वजह से ही जागरूक नागरिक सुनील कुमार शर्मा द्वारा यह संदेह होने पर सिलैण्डरों में गैसों की रिफलिंग की जा रही है, का अंदेशा लगाया गया था, जबकि वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। सिलैण्डरों को डिलीवरी वाहनों में भरते समय प्लास्टिक सील लूज हो जाती है या टूट जाती है, उसके नीचे एक हार्ड सेफ्टी प्लास्टिक कैप होता है जिससे सील टूट सकती है, लेकिन सिलैण्डरों का वजन पूरा होता है। इसी तरह मौके पर भी सभी टूटी सील के सिलैण्डरों में वजन पूरा था। उपभोक्ता राकेश शर्मा व उपभोक्ता विनोद कुमार उपाध्याय द्वारा लिखाई गई कम्पलेण्ड व उनके कन्ज्यूमर नंबर दर्शाती हुई पास–बुक की फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न की जा रही है। नोटिस का तृतीय चरण जिस तरह वर्णित किया है स्वीकार नहीं। गैस एजेन्सी द्वारा किसी आसिफ नामक व्यक्ति को अपने यहां डिलीवरीमैन के रूप में या अन्य रूप में नियोजित नहीं किया हुआ है। वहां डिलीवरीमैन धुन्धी को लगाया हुआ था। यह कि नोटिस का चतुर्थ चरण स्वीकार है। ऑफिस में जैसे ही सूचना मिली, ऑफिस कर्मचारी अनिलसिंह मौके पर पहुंचा। यह तथ्य गलत है कि आसिफ नाम के व्यक्ति को गैस एजेन्सी द्वारा नियोजन में रखा गया हो, शेष तथ्य स्वीकार हैं। नोटिस के चरण संख्या 5 में निवेदन है कि संजीव शर्मा गैस एजेन्सी का मालिक नहीं, बल्कि प्रबंधक है। यह कि नोटिस का चरण संख्या 6 स्वीकार नहीं। ज्योति गैस एजेन्सी द्वारा घरेलू गैस सिलैण्डर का अवैध रूप से किसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर वर्णित चरणों में दर्शाया गया है। इस तरह ज्योति गैस द्वारा द्रव्यीयकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। जिस कारण उक्त कार्य 3/7 ई सी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि गैस एजेन्सी द्वारा साशय ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, केवल जागरूक नागरिक द्वारा संदेह के आधार पर शिकायत की गई थी, जिसका सत्यता से कोई सरोकार नहीं था। अतः निवेदन है कि जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों का सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर प्रार्थी गैस एजेन्सी को नोटिस के भार से मुक्त किया जावे तथा प्रार्थी गैस एजेन्सी के अधिगृहित किये गये गैस सिलैण्डर को रिलीज करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर शुभम मैरिज हॉल, मनुमार्ग अलवर के पीछे संत सुखदेव शाह अस्पताल के पास एचपी गैस घरेलू गैस (14.2 ग्रा) के 78 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसमें 34 खाली, 29 सीलशुदा एवं 15 भरे हुए लेकिन सील टूटी हुई पाये गये तथा मौके पर शिकायकर्ता श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित मिले। श्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उसने जव आसिफ को एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरते देखा और रूककर पूछताछ की तो वह भाग गया। प्रवर्तन अधिकारी को वक्त निरीक्षण मौके पर 78 घरेलू गैस सिलेण्डर मिले, जिनका निरीक्षण करने पर 34 खाली, 29 सीलशुदा एवं 15 भरे हुए लेकिन सील टूटी हुई का निरीक्षण किया एवं उपस्थिति मौतबिरान के समक्ष हेगिंग स्केल से तौल करने पर नम्बर नम्बर 629545 में 2.4 किग्रा एवं 6910725 में 2.3 किग्रो गैस कम पाई गई एवं 15 गैस सिलेण्डरों की सील टूटी पाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपियों द्वारा एक सिलेण्डर से गैस निकालकर दूसरे सिलेण्डर में भरने का कार्य किया गया, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आद दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 15 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) मय गैस 209.1 किग्रा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 15 भरे गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी (क्षमता 14.2 किग्रा) मय गैस 209.1 किग्रा सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)